न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 334/23 निर्णय दिनांकः 5-1-26
(जीसीएमएस संख्या 2023/469)

1. साहबराम पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 4–डी.एन.बी. हाल आबाद चक 9 पी.बी. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. हेतराम पुत्र भजन लाल जाति जाट निवासी दौलता वाली हाल आबाद चक 14 पी.बी. (बी) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. सुमन कुमारी पत्नी विनोद कुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 22 राजीव नगर खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–06–2024
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 02–06–2023 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित भूमि का आवंटन मीडियम पेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि तहसील खाजूवाला के चक नं 12 पी.बी. (बी) का मुरब्बा नं 128/30 में किला नं 10 व 11 व कि.नं. 25/3 में 0.2529 हैक्टर कमाण्ड व 0.3794 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि एवं मुरब्बा नं 128/38 में किला नं 1 से 10 में 1.2645 हैक्टर कमाण्ड व 1.2645 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है और इसी मुरब्बा नं 128/38 का किला नं 11 ता 25 कुल 3.6670 हैक्टर आराजीराज दर्ज थी। जिस पर कब्जा अपीलार्थी का ही है। अपीलांट के उक्त मुरब्बा नं 128/38 की आराजीराज भूमि को मीडियम पैच में आवंटन कराने के लिये 23.02.2016 को ही आवेदन पेश कर दिया था जिस पर तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट आदि हो चुकी थी लेकिन उसे पेडिंग रखा गया और आवंटन आदेश जारी नहीं किये गये है। आज भी अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पेडिंग है।

रेस्पीडेन्ट नं 1 हेतराम की इसी चक के मुरब्बा नं 108/54 में किला नं 3 ता 6, 15, 16 तादादी 1.2646 हैक्टर भूमि स्थित है। हेतराम की मुरब्बा नं 128/38 में कोई भूमि नहीं थी। रेस्पोडेन्ट नं 1 मुरब्बा नं 128/38 की 15 बीघा भूमि को मीडियम पैच में आवंटन करवाने का पात्र ही नहीं था। हेतराम की भूमि विवादित भूमि से चिपती हुई भूमि भी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियम विरुद्ध हेतराम को मीडियम पैच में आवंटन कर दिया जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं 1 ने दिनांक 29.03.2023 को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 31.03.2023 को हल्का पटवारी ने नक्शा सहित रिपोर्ट की उसमे मु.नं. 128/38 में अपीलांट की भूमि होना अंकित किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2023 को कार्यवाही शुरू कर चिपते काश्तकार व सार्वजनिक नोटिस जारी करने के आदेश के साथ दिनांक 31.05.2023 की पेशी रखी जबकि 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस होना जरूरी था। दिनांक 31.05.2023 को अस्पष्ट आदेश दिया गया और दिनांक 01.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के रेस्पोडेन्ट हेतराम से जरिये चालान रकम जमा कराने के आदेश देकर दिनांक 02.06.2023 को नियम विरूद्ध मीडियम पैच का आवंटन कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई विधिवत नोटिस नही दिया गया और ना ही अपीलांट पर किसी नोटिस की तामील हुई है। ऐसा कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है जिससे नोटिस की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तामील अपीलांट पर होना माना जा सके। उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला ने दिनांक 15.05.2023 को नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2023 की पेशी तय कर दी गई। जो रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया वो दिनांक 23.05.2023 को भेजा गया जिसकी कोई सूचना या तामील अपीलांट पर नहीं हुई है। जाहिर है रेस्पोडेन्ट नं 1 को लाभ पहुंचाने के लिए आवंटन किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला दिनांक 02–06–2023 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि चक 12 पी.बी. (बी) के मु.नं. 128/38 की किला नं 11 ता 25 को मीडियम पैच में आवटन करवाने के लिए अपीलार्थी ने वर्ष 2016 में ही प्रार्थना पेश कर दिया था जो पेडिंग था, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने केवल 17 दिन में कार्यवाही कर विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट हेतराम को दिनांक 02.06.2023 को कर दिया जिसका कोई ज्ञान अपीलांट को नही था। तथा हेतराम द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन हेतराम को किया गया है उक्त जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनाक 10.12.2023 को हुई जबकि रेस्पोडेन्ट सं 2 ने कुछ आदमियों के साथ आकर मौके पर कुछ खुदाई आदि शुरू कर दी तो उसने बताया कि विवादित भूमि उसने हेतराम से खरीद कर ली है। इस पर अपीलांट ने दिनांक 11.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन आदेश की नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल उसे दिनांक 21.12.2023 को दी गई दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 को सार्वजनिक छुटटी थी जो अपीलार्थी 26.12.2023 को अपील पेश करने बीकानेर आया और जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 02–06–2023 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदार भी जारी की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र तंग व परेशान करने की नियम से अपील 8 माह बाद पेश की है। अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा वर्ष 2016 में उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत आवेदन किया था परन्तु अपीलांट द्वारा यह नही बताया गया कि 2016 से 2023 तक अपीलांट के आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि के आवंटन बाबत जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किय गया था तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गइ थी जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–04–2023 को अधीनस्थ न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर बताया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि रकबाराज है, जोहड पायतन, चक आबादी, वनपट्टी, नर्सरी, चारागाह, मंदिर, आदि की भूमि नही है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद चिपते काश्तकारो को रजिस्टर्ड नोटिस आदि जारी करने के बाद ही उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधिवत रूप से किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–06–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27–12–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, खाजुवाला के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–06–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित अराजीराज भूमि का आवंटन बतौर मीडियम पेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हेतराम पुत्र भजनलाल को किय गया है।

हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

ए– क्या अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत भूमि का चिपते काश्तकार है अथवा नही?

बी– क्या अपीलाधीन आवंटन आदेश से पूर्व अपीलांट का कोई आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेडिंग था अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट का रकबा चक 12 पीबी(बी) के मुरब्बा नम्बर 128/38 के किला नम्बर 1 ता 10 में स्थित है। जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि किला नम्बर 108/54 के किला नम्बर 3 ता 6, 15, 16 में स्थित है। मीडियम पेच में आवंटन योग्य भूमि किला नम्बर 128/38 के मुरब्बा नम्बर 11 ता 25 में कुल 3.6670 हैक्टर भूमि के रूप में उपलब्ध थी। अतः उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त आवंटन योग्य भूमि का चिपता काश्तकार है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मीडियम पेच आवंटन में भूमि आवंटन के लिए प्रथम वरियता उसी मुरब्बे के चिपते काश्तकार की बनती है तथा अगर उसी मुरब्बे के चिपते काश्तकार द्वारा आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया जाता है तो उसी चक के अन्य काश्तकार आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है। इस स्थित में प्रश्न यह है कि क्या अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन योग्य भूमि के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है अथवा नही?

अपीलांट द्वारा फॉर्म नम्बर 3 के साथ उक्त मीडियम पेच में आवंटन योग्य भूमि के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला के समक्ष आवेदन दिनांक 23–02–2016 को प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलांट का आवेदन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन से पूर्व का प्रस्तुत किया हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट भी उक्त भूमि को आवंटन करवाना चाहता था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे उक्त आवेदन के खारिज होने की पुष्टि होती हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनो ने आवेदन प्रस्तुत किये थे जिस अधीनस्थ न्यायालय को दोनो आवेदनो पर कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि का विक्रय खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरों को आमंत्रित करते हुए किया जाता तो सरकार को अतिरिक्त आय होती। परन्तु आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया जाकरसरकार को राजस्व हानि पहुँचाई गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–06–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5-1-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर